-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक स्व0 रिव्यु .–1925–दो/05 **जिला** –पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18.9.15	आवेदक शासन की पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव एवं डी0के0 पासी उपस्थित । उभय पक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । 2– यह प्रकरण राजस्व मण्डल के समक्ष लंबित प्र0क0 1536–अध्यक्ष/03 के विचारण दौरान तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्धारा इस न्यायालय द्धारा निराकृत प्र0क0 1415–अध्यक्ष/03 में पारित आदेश दिनांक 10.8.04 को स्वमेव पुनर्विलोकन में लिया जाना पाते हुये भू–राजस्व संहिता की धारा 9 के अंतर्गत नियम 7 के तहत प्रेषित किये जाने पर स्वीकृति उपरांत माननीय अध्यक्ष द्धारा स्वमेव पुनर्विलोकन की कार्यवाही हेतु सदस्य को नामांकित किया गया तदोपरांत न्याया0 द्धारा प्रकरण कमांक 1415–अध्यक्ष/03 में निहित पक्षों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तत्कालीन अध्यक्ष द्धारा यह प्रकरण निराकरण हेतु मेरे पास भेजा गया है । 3–आवेदक अधिवक्ता द्धारा मौखिक तर्क दिया है कि इस प्रकरण शासन का हित निहित है । म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 9 के अंतर्गत नियम 7 के तहत प्रकरण पुनः रिव्यु में लिये जाने का प्रावधान है इस कारण प्रकरण प्रचलन योग्य होने से श्रवण योग्य है । 4– अनावेदकगणों की ओर से प्रेषित कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि धारा 114 अथवा आदेश 47 नियम 1 प्रावधानों के अनुसार की जा रही कार्यवाही विधि अनुकूल नहीं है प्र0क0 1415–अध्यक्ष/03 में पारित आदेश दिनांक	

10.8.04 के विरूद्ध दिनांक 18.1105 को कार्यवाही की गई है, जो निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से अवधि वाह्य है ।

म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के अन्तर्गत इस अधिनियम में पुनर्विलोकन की कार्यवाही का करने का कोई प्रावधान या अधिकारिता नहीं है । इस कारण प्रचलित कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं है ।

5— अनावेदकगणों की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दू क्रमांक –1 के आधार पर जबाव प्रस्तुत किया है कि बिन्दू क्र01 में जो तथ्य लेख किया गया है कि चाही गई सहायता के बाहर जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो निराधार है न्यायालय को दावे में एवं अपील में तथ्यों के आधार पर जो भी उचित सहायता दी जा सकती है उसे देने की अधिकारिता न्यायालय को है । उन्हें प्रश्नागत नहीं किया जा सकता । उन्होंने जबाव में यह भी लेख किया है कि अंतरण वर्ष 1970 में किये जाने बावत लेख है और इन अंतरणों का न्यायालय द्वारा धारा 4 म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण योग्य नहीं है । क्यों कि धारा 4 के अनुसार 01.01.1971 बाद ही अंतरणों का परीक्षण धारा 4 के अन्तर्गत किया जा सकता है और इस कारण न्यायालय ने पुनः वैध होना मान्य करते हुये जो आदेश पारित किया वह पूर्ण रूप से उचित था, जो मान्य योग्य है इस आधार पर प्रश्नगत कार्यवाही समाप्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

6— अनावेदकगणों की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दू क्र0 2 के आधार पर जबाव प्रस्तुत है कि कारण बताओ सूचना पत्र के आधार क्र0 2 में यह लेख किया है कि संशोधित अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का अंतिम निराकरण किया गया है इस कारण कानून संबंधी त्रुटि को आधार बनाया गया जबकि मान्य सिद्धांत यह है कि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक स्व0 रिव्यु .–1925–दो/05 **जिला** –पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
	कानून की त्रुटि पुनावलोकन के लिये आधार नहीं है । इसलिये ऐसे आधार पर यह प्रकरण आगे नहीं चलाया जा सकता इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1966 एम.पी.एल.जे. 170 एवं 1957 ए.आई.आर नागपुर 1997 ए.आई.आर.1977 मद्रास 57 का हवाला दिया है । 7– अनावेदकगणों की ओरसे कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दू कमांक 3 के आधार पर जबाव प्रस्तुत किया है कारण सूचना पत्र की कंडिका 3 के आधार में दर्शाये आधार भी पुनर्विलोकन की परिधि में नहीं आता है क्यों कि पुनर्विलोकन में न्यायालय को प्रकरण में विधमान साक्ष्य का पुनः निरीक्षण करने और इस आधार पर पूर्व में दिये गये निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष निकालने की अधिकारिता नहीं है । यह कि पूर्व धारक की मृत्यु हो चुकी थी और नियमानुसार नवीन धारक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई थी ,जो दिनांक 01.01.1971 के पश्चात प्रारंभ किये जाने के कारण इस प्रकरण का निराकरण संशोधित अधिनियम के अंतर्गत ही किया जाना चाहिये था इसलिये धारा–5 मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम (असंशोधित) धारा का जो उल्लेखित किया गया है उसको पुनर्विलोकन का आधार नहीं बनाया जा सकता है । 8– उन्होंने कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में यह भी उल्लेखित किया है कि दिनांक 01.01.1971 के पूर्व किये अंतरणों न तो धारा 4 प्रभावित करती है और न ही धारा 5 के तहत किसी अनुमति की आवश्यकता है । अतएव उन्होंने आग्रह किया है कि कारण बताओ सूचना पत्र में ऐसा कोई भी आधार उल्लेखित नहीं हैं जिसके अनुसार आगे किसी प्रकार की कार्यवाही की जाये और प्रकरण इसी स्तर पर	

समाप्त किये जाने का निवेदन किया है ।

मैने प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ सूचनापत्र का जबाव एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया न्यायालय द्धारा प्रकरण क्रमांक 1415–अध्यक्ष/03 में पारित आदेश दिनांक 10.08.04 पूर्ण विचार उपरांत म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण वयाख्या करते हुये आदेश पारित किया गया है जिसमें 01.01.1971 के पूर्व के अंतरणों का निराकरण धारा 4 म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है । जबकि इस आदेश का स्वमेव पुनर्विलोकन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है जो विधि अनुकून नहीं है । म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध स्वमेव पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान न होने से प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं पाता हूँ ।

9– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील क्रमांक 1415–अध्यक्ष/03 में पारित आदेश दिनांक 10.08.04 स्थिर रखते हुये पुनर्विलोकन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कमांक स्व0 रिव्यू 1925–दो/05 ग्वालियर, दिनांक नवम्बर,2005

कारण बताओ सूचना–पत्र

मध्यप्रदेश शासन
विरूध्द
लक्ष्मीदेवी पौत्री बहादुर आदि

प्रति,

1– लक्ष्मीदेवी पौत्री बहादुर तनय जबरा, पत्नी प्रभूदयाल
2– हरीराम तनय बसोरा
3– बब्बू तनय लक्ष्मण
4– श्रीमती हंसा देवी पत्नी कौशलेन्द्र विकम सिंह
5– अजयराजसिंह पिता कौशलेन्द्र विकम सिंह
6– मृणालिनी पुत्री कौशलेन्द्र विकम सिंह
7– कु0 प्रियदर्शनी पुत्री कौशलेन्द्र विकम सिंह
8– पृथ्वीसिंह पुत्र कौशलेन्द्र विकम सिंह
9– महिपेन्द्र विकम सिंह पिता देवेन्द्र विजय सिंह
10– सुरेन्द्र विकम सिंह पिता देवेन्द्र विजय सिंह
समस्त निवासी अजयगढ़, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना,म0प्र0

अपील प्रकरण कमांक 1415–पीबीआर/2003 में पारित आदेश दिनांक 10–8–2004 में प्रकट प्रथम दृष्टया निम्नाकिंत त्रुटियॉ पायी गयी –

1– सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त) के आदेश के विरूध्द अन्तरणग्रहिता लक्ष्मीदेवी, हरीराम तथा बब्बू व्दारा अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें लक्ष्मीदेवी के पिता/नाना बहादुर ने विकयपत्र दिनांक 12–10–70 व्दारा कय की गयी भूमि, हरीराम के पिता बसौरा व्दारा पंजीयत विकयपत्र दिनांक 26–10–70 व्दारा कय की भूमि तथा बब्बू के पिता बसोरा व्दारा पंजीयत विकयपत्र 12–10–70 व्दारा कय की गयी भूमि के विकयपत्रों को मान्य किया जाने का निवेदन किया गया था । बहादुर पुत्र जबरा को 20–42 हे0, बसोरा पुत्र मंगल को 19–78 हे0 तथा बब्बू पुत्र लक्ष्मण को 14–58 हे0 कुल 53–178 हे0 के अन्तरणों के संबंध में ही अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कीगयी थी, किन्तु राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 10–8–04 के पैरा–11 में निकाले गये निष्कर्ष व्दारा आयुक्त के आदेश के पृष्ठ 13 में दर्शाये गये सभी अन्तरणों को सदभावी मान्य करते हुए धारक के खाते से कम करने के आदेश दिये गये हैं। आयुक्त ने अपने आदेश के पृष्ठ 11 पर 14 व्यक्तियों के पक्ष में किये गये 208.92 हेक्टर अर्थात 516 एकड़ के अन्तरणों को अमान्य किया गया था, जबकि अपील 53.178 हे0 के संबंध में ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत